



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं. NCST/DEV-1109/MP/8/2022-ESDW

दिनांक: 10.04.2023

Shri Ukaar Ba Gaamad,
Village Charankotda,
G.P - Bekaldha,
Taluka - Petlawad,
Jhabua District,
Madhya Pradesh -457775

Shri Kailash Meda,
Village Charankotda,
G.P - Bekaldha,
Taluka - Petlawad,
Jhabua District,
Madhya Pradesh -457775


विषय: Representation dated 13-11-2022 from Shri Ukharba Ghamad & others, R/o Charankotda Village, Bekaldha Panchayat, Petlawadh Teshil, Jhabua District, Madhya Pradesh – regarding long intentional delay in Compensating 806 ST families of 12 Villages of Petlawadh Teshil, Jhabua District affected by Mahi dam project.

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक जी ने आपके मामलें में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 10.04.2023 को 03:00 बजे होने वाली सिटिंग/सुनवाई को **पुनर्निर्धारित कर दिनांक 26.04.2023 को 10:30 बजे कर दिया है।** इस संबंध में सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से सूचित कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय,


(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी